



Government of Rajasthan
National Health Mission, Rajasthan
Department of Medical, Health & FW, Swasthya Bhawan, Jaipur

Tel.No.

E mailID:

No. F.(45)/NCD/Finance/Sanctions/2019-20/ 654

Date: 30/9/19

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृत PIP वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुसार National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardio-Vascular Diseases and Stroke (NPCDCS) कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समितियों को निम्न सारणीनुसार इनके सम्मुख अंकित राशि Universal Health Checkup and Screening of NCDs की ट्रेनिंग गतिविधियों हेतु वर्णित मद संख्या के अनुसार कुल राशि रु. 3,39,30,500.00 (अक्षरे रु. तीन करोड़ उन्तालीस लाख तीस हजार पांच सौ मात्र) व्यय करने की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैं। उपरोक्त राशि का व्यय जिला स्वास्थ्य समितियों के एनआरएचएम फ्लेक्सिपूल में उपलब्ध राशि से किया जावे एवं उक्त गतिविधियों हेतु व्यय राशि का समायोजन निम्न सारणी अनुसार बजट मद में किया जावे:-

National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardio-vascular Disease and Stroke (NPCDCS) ROP 2019-20

(Amount In Rs.)

S.No.	District	No. Of HWC-PHC	Training @ Rs. 19,750/- per HWC-PHC/Year Including VIA Training (New FMR Code: 9.5.19.3) (Old FMR Code: 9.5.19.3)
1	Ajmer	62	12,24,500.00
2	Alwar	116	22,91,000.00
3	Banswara	50	9,87,500.00
4	Barmer	92	18,17,000.00
5	Bharatpur	66	13,03,500.00
6	Bhilwara	72	14,22,000.00
7	Bundi	28	5,53,000.00
8	Chittorgarh	44	8,69,000.00
9	Dausa	42	8,29,500.00
10	Dholpur	27	5,33,250.00
11	Dungarpur	54	10,66,500.00
12	Ganganagar	52	10,27,000.00
13	Jaipur-1st	70	13,82,500.00
14	Jaipur-IInd	47	9,28,250.00
15	Jaisalmer	24	4,74,000.00
16	Jalour	67	13,23,250.00
17	Jhalawar	41	8,09,750.00
18	Jhunjhunu	107	21,13,250.00
19	Karoli	33	6,51,750.00
20	Kota	39	7,70,250.00
21	Nagaur	122	24,09,500.00
22	Pali	79	15,60,250.00
23	Pratapgarh	28	5,53,000.00
24	Rajsamand	43	8,49,250.00
25	S.Madhapur	34	6,71,500.00
26	Sikar	99	19,55,250.00
27	Sirohi	28	5,53,000.00
28	Tonk	55	10,86,250.00
29	Udaipur	97	19,15,750.00
Total		1718	3,39,30,500.00

स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन हैं:-

1. वित्तीय रिपोर्ट के अवलोकन हेतु **एफएमआर** का प्रपत्र संलग्न कर आपको भिजवाया है। अतः आप जिले में कार्यक्रम से संबंधित हुये व्यय को एफएमआर बजट मद में अपडेट करते हुये मासिक एफएमआर प्रत्येक माह की **5 तारीख तक** स्टेट एनसीडी सैल, निदेशालय की ईमेल **npcdcsrajasthan@gmail.com** पर एवं **जिला लेखा प्रबंधक, एनएचएम को आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करावें।**
2. जिला एनसीडी सैल द्वारा वार्षिक उपयोगिता प्रमाण-पत्र (in form GF&AR 12C) में भिजवाया जाए तथा सुनिश्चित किया जावे कि जिस मद में राशि का आवंटन किया गया है उसी मद में राशि का उपयोग किया गया है।
3. जिला स्वास्थ्य समिति/एनसीडी सैल द्वारा किसी भी मद में परिवर्तन अथवा Re-appropriation निदेशालय स्तर से अनुमति पूर्व नहीं किया जावेगा।
4. भारत सरकार की ऑपरेशनल गाईडलाईन व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वित्तीय प्रबंध प्रक्रियाओं की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।

संलग्न:-

1. एनपीसीडीसीएस RoP वर्ष 2019-20

मिशन निदेशक
(राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन)

No. F.(45)/NCD/Finance/Sanctions/2019-20/654

Date: - 30/9/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वास्थ्य) एवं अध्यक्ष, स्टेट प्रोग्राम कमेटी(एनसीडी) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, एनएचएम, जयपुर।
4. संबंधित जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति राजस्थान।
5. निदेशक (वित्त) एनएचएम, जयपुर (राज.)।
6. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम।
7. सहायक राज्य कार्यक्रम प्रबंधक/सलाहकार (योजना), एनएचएम, मुख्यालय।
8. राज्य वित्त प्रबंधक/राज्य लेखा प्रबंधक, एनएचएम, मुख्यालय।
9. स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर, एनसीडी, मुख्यालय।
10. संबंधित संयुक्त निदेशक, जोन, चि0 स्वा0 सेवायें राजस्थान।
11. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला नोडल ऑफिसर, एनसीडी, राजस्थान।
12. संबंधित उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी(स्वा.) एवं जिला प्रभारी(एनसीडी), राजस्थान।
13. स्टेट फाईनेन्स कन्सलटेन्ट, राज्य एनसीडी सैल, मुख्यालय।
14. संबंधित जिला कार्यक्रम प्रबंधक (एनएचएम)/जिला कार्यक्रम अधिकारी (एनसीडी)/जिला कार्यक्रम सहायक/कॉर्डिनेटर(एनसीडी), राजस्थान को भेजकर लेख है कि उक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुसार कार्य करें।
15. संबंधित जिला लेखा प्रबंधक (एनएचएम)/जिला फाईनेन्स कन्सलटेन्ट (एनसीडी), राजस्थान।
16. संबंधित जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला लेखा प्रबंधक, एनएचएम।
17. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय।
18. आदेश पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर